



# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495006, दूरभाष:(07752) – 210312, फ़ैक्स:(07752) - 213073

website : [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in), Email: [registrar@pssou.ac.in](mailto:registrar@pssou.ac.in)

क्रं./...529/पो. मै. छा. शा/2017  
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक: 04/12/2017

विषय – शिक्षा सत्र जनवरी - दिसम्बर 2017 एवं सत्र जुलाई - जून 2017 में वि.वि. में प्रवेशित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन भरने विषयक।

संदर्भ – आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./92/2017-18/9174 रायपुर, दिनांक 25/11/2017।


उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा सत्र जनवरी - दिसम्बर 2017 एवं सत्र जुलाई 2017 - जून 2018 में वि.वि. में प्रवेशित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का वेबसाइट [tribal.cg.gov.in/escholarship](http://tribal.cg.gov.in/escholarship) पर आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2017-18 में आवेदन करने एवं संस्था स्तर पर उक्त प्रकरणों से सम्बंधित प्रक्रियाओं हेतु निम्नानुसार अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई हैं -

क्रं.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन (नवीन एवं नवीनीकरण) हेतु	दिनांक 01.12.2017 से 20.12.17 तक
2.	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.12.2017 से 25.12.17 तक
3.	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.12.2017 से 31.12.17 तक

निर्धारित अंतिम तिथि 20.12.2017 तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करने एवं आवेदन की हार्डकॉपी आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 24.12.2017 तक विश्वविद्यालय में प्राप्त न होने पर आवेदन ऑनलाइन प्रोसेस नहीं किए जा सकेंगे। स्कालरशिप की KYC रिपोर्ट पर छात्र दिनांक 31.12.2017 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय मुख्यालय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करेंगे। उक्त अंतिम तिथियों के पश्चात् संबंधित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन प्रोसेस नहीं किये जायेंगे जिसके लिए विद्यार्थी स्वतः जिम्मेदार होंगे।

o/c

आदेशानुसार



  
कुलसचिव

- संलग्न – 1.) संदर्भित पत्र की छायाप्रति |  
2.) आवश्यक दस्तावेजों की सूची |  
3.) शपथ प्रमाण पत्र का प्रारूप |


पृ. क्रं./...../पो. मै. छा. शा/2017  
प्रतिलिपि –

बिलासपुर, दिनांक: 04/12/2017

1. कुलपति जी के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ |
3. क्षेत्रीय समन्वयक ..... को सूचनार्थ कृपया क्षेत्रीय कार्यालय में प्रवेशित अपने अधीनस्थ अध्ययन केंद्र प्रभारियों प्रवेशित छात्र/छात्रों को तत्काल सूचित करें |
4. कार्यालय प्रति |

  
कुलसचिव  


पृ. क्रं. अपेक्षा, please do need hel.

  
04/12/17

## विश्वविद्यालय में आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति।
2. शपथ पत्र जिसमें छात्र के शासकीय / अर्ध शासकीय / अशासकीय संस्थान में कार्यरत न रहने संबंधी शपथ पत्र जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में परिवार की वार्षिक आय के स्पष्ट उल्लेख हो (मूल प्रति)।
3. ऑनलाइन प्रवेश हेतु भुगतान की गई फीस के चालान की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पूर्व वर्षों में उत्तीर्ण की गई परीक्षाओं की अंक सूचियों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 का समस्त स्रोतों से परिवार की वार्षिक अधिकतम आय रु. 2 लाख तक की आय के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (स्वप्रमाणित) जिसमें हितग्राही (आवेदक) का नाम अंकित हो।
6. छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
7. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. आवेदक छात्र/छात्रा की स्वयं की बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें आवेदक नाम, खाता क्रं एवं बैंक की IFSC का स्पष्ट उल्लेख हो) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. आवेदक छात्र के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

## शपथ पत्र

मैं \_\_\_\_\_ पिता \_\_\_\_\_ उम्र  
\_\_\_\_\_ निवासी - ग्राम/नगर \_\_\_\_\_ तहसील  
\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ छ.ग. शपथपूर्वक  
कथन करता / करती हूँ कि -

1. मैं वर्तमान में शिक्षा सत्र \_\_\_\_\_ में पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम \_\_\_\_\_ में \_\_\_\_\_ वर्ष का छात्र हूँ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्कालरशिप पोर्टल पर मेरे ऑनलाइन आवेदन का क्रमांक \_\_\_\_\_ है।
3. मैं वर्तमान में किसी भी शासकीय / अर्ध शासकीय / अशासकीय संस्थान में सवैतनिक पद पर कार्यरत नहीं हूँ।
4. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सकल स्रोतों से मेरे परिवार की वार्षिक आय \_\_\_\_\_ है, जो कि मेरे आय प्रमाण पत्र में दर्ज है।
5. मेरे द्वारा बिंदु क्रमांक 1 से 4 तक दी गई जानकारी सत्य है।

आवेदक का नाम --

पाठ्यक्रम -

मोबाइल नं. -

कार्यालय आयुक्त  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक/आ.ला.पो.मै.छा./92/2017-18/9174

रायपुर,दिनांक 25/11/2017

**वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग  
के लिए आनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विज्ञप्ति**


छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की पात्रता है को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2017-18 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं एवं 12वीं को छोड़कर) के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही [tribal.cg.gov.in/escholarship](http://tribal.cg.gov.in/escholarship) वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव/स्वीकृति लाक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार अंतिम तिथि निर्धारित की गई है :-

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 01.12.2017 से 20.12.17 तक
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.12.17 से 25.12.17 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.12.17 से 31.12.17 तक

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2017-18 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं draft proposal अथवा sanction order lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

नोट :- पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 12वीं से उच्चतर) अनु.जनजाति वर्ग के जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में National Scholarship Portal ([scholarships.gov.in](http://scholarships.gov.in)) पर आवेदन किया जा चुका है, उन्हें भी पुनः विभाग की वेबसाइट ([tribal.cg.gov.in/escholarship](http://tribal.cg.gov.in/escholarship)) पर आवेदन करना अनिवार्य है। उनको केवल इसी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

  
( जी.आर.चुरेन्द्र )  
संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
छत्तीसगढ़, रायपुर